रजिस्टर्ड नं0 ल0-33/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 सितम्बर, 1989/1 आश्विन, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 1989

संख्या ख (6) 2/84-शिक्षा-क.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम, 1984 (1984 का 19) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश देते हैं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, विभिन्न पदों के लिए चयन करने के प्रयोजन से संचालित की जाने वाली परीक्षाएं या छंटनी परीक्षण या चयन परीक्षण, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "परीक्षा" समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव (शिक्षा)।

2262-राजपत्र/89-23-9-89—1,199.

मूल्य 1.00 रुपया।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Kha* (6) 2/84-*Shiksha*-(*Ka*), *dated* 15-9-89, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India is hereby published*].

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 15*th September*, 1989

No. Kha (6) 2/84 Shiksha-Ka.—In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of section 2 of the Himachal Pradesh Prevention of Malpractices at University, Board or other Specified Examination Act, 1984 (Act No. 19 of 1984), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that any Examinations/Screening Tests/Selection Tests to be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission as a process for selections to various posts shall be deemed to be the "Examination" for the purpose of the said Act.

Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary* (*Edu.*).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (B-SECTION)

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 12*th September*, 1989

No. GAB-1A (4)-13/85.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend this Department Notification of even number dated the 23rd July, 1987 regarding constitution of Himachal Pradesh Grievances-*cum*-Food and Supplies Advisory Committees as under:—

(*i*) For the existing sub-para (1) of para 2 of the aforesaid Notification, the following shall be substituted :—

2. *Committee at District Level*:

(1) The Committee at the District Level will have the following Chairman :—

1.	Shimla	Shri Virbhadra Singh, Chief Minister.
2.	Kangra	Shri Sat Mahajan, Irrigation and Public Health Minister.
3.	Chamba	Shri Sagar Chand Nayyar, Education Minister.
4.	Hamirpur	Shri Dharam Singh, Revenue Minister.
5.	Mandi	Shri Rangila Ram Rao, Minister of State for Industries.
6.	Solan	Shri Vijayendra Singh, Minister of State for Health and Family Welfare.
7.	Una	Shri Vijai Kumar Joshi, Minister of State for Planning and Food and Supplies.
8.	Sirmaur	Shri Gangu Ram Musafir, Minister of State for power.
9.	Kullu	Shri Raj Krishan Gaur, Minister of State for Tourism.
10.	Bilaspur	Shri Ram Lal Thakur, Minister of State for Ayurveda and Local Self Government.
11.	Kinnaur	Shri Dev Raj Negi, Minister of State for Tribal Development.
12.	Lahaul & Spiti	Shri Devi Singh, Member Legislative Assembly.

(*ii*) For the existing entry at Sr. No. 5 and 6 of Sub-Para (4) of para 2, the following shall be substituted :—

5. All MPs from the District (except MP of Mandi constituency who will not be Member of the District Level Grievances-*cum*-Food and Supplies Advisory Committee of Lahaul and Spiti District.

6.	All Members Legislative Assembly.	(except M.L.A. of Lahaul and Spiti Constituency who will not be Member of the District Level Grievances-*cum*-Food and Supplies Advisory Committee of Lahaul and Spiti District.

2. Notifications No. GAD-1A(4)-13/85, dated the 12th August, 1985 and 13th March, 1986 respectively are hereby superseded.

By order,
Sd/-
Chief Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 अगस्त, 1989

संख्या II-6/67-गृह(ए)-II.—हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिकार की अधिसूचना संख्या II-6/67-गृह(ए) दिनांक 23-6-1989 जो कि राजपत्र हिमाचल प्रदेश सरकार (असाधारण) दिनांक 12-7-1989 क अंक में प्रकाशित हुई थी, क संदर्भ में तथा मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं आरटिलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदश, जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सम संख्या दिनांक 3-5-1988 जो कि राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में 18 जून, 1988 क अंक प्रकाशित हुई थी के द्वारा पूर्व परिभाषा क्षत्र में फील्ड फायरिंग तथा आरटिलरी अभ्यास को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित समय क लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं:—

सितम्बर, 1989	अक्तूबर, 1989	नवम्बर, 1989	दिसम्बर, 1989
6 से 8 तक	3 से 7 तक	1 से 3 तक	1 से 2 तक
12 से 14 तक	11 से 13 तक	7 से 8 तक	6 से 8 तक
15 से 16 तक	17 से 18 तक	9 से 11 तक	12 से 13 तक
20 से 22 तक	19 से 21 तक	15 से 17 तक	14 से 16 तक
27 से 30 तक	25 से 26 तक	20 से 22 तक	20 से 22 तक
	30 से 31 तक	24 से 25 तक	26 से 27 तक
		29 से 30 तक	27 से 23 तक

जनवरी, 1990	फरवरी, 1990	मार्च, 1990	अप्रैल, 1990
1 से 6 तक	1 से 3 तक	1 से 3 तक	3 से 5 तक
8 से 13 तक	5 से 6 तक	5 से 6 तक	6 से 7 तक
15 से 20 तक	7 से 10 तक	8 से 10 तक	10 से 11 तक
22 से 25 तक	12 से 14 तक	13 से 14 तक	13 से 14 तक
29 से 31 तक	16 से 17 तक	16 से 17 तक	17 से 18 तक
	19 से 21 तक	27 से 28 तक	20 से 21 तक
	23 से 24 तक	30 से 31 तक	24 से 25 तक
			27 से 28 तक

मई, 1990	जून, 1990
1 से 2 तक	1 से 2 तक
3 से 5 तक	6 से 8 तक
8 से 9 तक	12 से 14 तक
11 से 12 तक	18 से 22 तक
14 से 17 तक	22 से 23 तक
18 से 19 तक	26 से 27 तक
21 से 22 तक	29 से 30 तक
23 से 26 तक	
29 से 31 तक	

आदेश द्वारा,
पी० टी० वांगडी
आयुक्त एवं सचिव।

श्रम विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 सितम्बर, 1989

संख्या 2-22/85-श्रम.—हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम (सीमित) की सेवायें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में आती है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि उक्त सेवाओं को लोक हित में छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप-खण्ड (*vi*) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम (सीमित) की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित में छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में दिनांक 30-9-1989 से घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
ओ० पी० यादव
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of the H.P. Government notification No.* 2-22/85-*Shram, dated* 14-9-89 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-*2, *the* 14*th September,* 1989

No. 2-22/85-Shram.—Whereas the services of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd., falls in the first sehedule of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947).

And whereas the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the aforesaid services be declared as Public Utility Services in the public interest for a period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (*vi*) of clause (N) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to declare the services of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Ltd., as public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from 30-9-1989.

By order,
O. P. YADAV,
Commissioner-cum-*Secretary.*

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 1989

सं0 2-22/85-श्रम.—हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की सेवाएं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूचि में आती है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि उक्त सेवाओं को लोकहित में, छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया जाए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा-2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (*vi*) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन का सेवाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक हित में, छः मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में दिनांक 12-9-1989 को घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
ओ0पी0 यादव,
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative english text of the H. P. Government Notification No.* 2-22/85-*Shram., dated* 14-9-1989 *as required under article* 348(3) *of the Constitution of India*].

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14*th September*, 1989

No. 2-22/85-Shram.—Whereas the services of the Himachal Road Transport Corporation falls in the first Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. XIV of 1947).

And whereas, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the aforesaid services be declared as Public Utility Services in the public interest for a period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (*vi*) clause (N) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the services of the Himachal Road Transport Corporation as public utility services for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from 12-9-1989.

By order,
O. P. YADAV,
Commissioner-cum Secretary.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, किन्नौर जिला स्थित कल्पा

अधिसूचना

कल्पा, 18 अगस्त, 1989

सं0 खाद्य केनर (ई) 12-1182-III-5735.—पिछले सभी आदेशों का व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा जमाखोरी/मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (ई) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रेम कुमार, जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर स्थित कल्पा, हि0 प्र0 उपरोक्त आदेशों की

अनुसूची में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं का समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं ।

क्र0 सं0	अनुसूचित संख्या के अनुसार क्रमांक	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून मूल्य	
1	2	3	4	
1.	2.	डब्बल रोटी (400 ग्राम)	रु0	2.35
2.	12.	मीट	,,	34.00
		मीट मुर्गा ब्रेस्ट (प्रति किलो)	,,	32.00
		मुर्गा जीवित ,, ,,	,,	28.00
		सूअर का मास ,, ,,	,,	16.00
		मछली ,, ,,	,,	20.00
3.	17.	पक्का खाना किसी भी प्रकार के ढाबा में या सस्ते खाने के होटल में :—		
		पूरा खाना दाल व सब्जी के साथ	रु0	6.00
		पूरा खाना केवल दाल के साथ	,,	4.00
		चावल परमल पूरी प्लेट	,,	3.00
		चावल परमल आधी प्लेट	,,	2.00
		मीट प्रति प्लेट	,,	9.50
		मीट आधी प्लेट	,,	5.00
		मीट मुर्गा प्रति प्लेट	,,	10.00
		मीट मुर्गा आधी प्लेट	,,	5.50
		सब्जी प्रति प्लेट (विशेष)	,,	3.50
		सब्जी आधी प्लेट	,,	2.50
		साधारण सब्जी प्रति प्लेट	,,	2.00
		साधारण दाल प्रति प्लेट	,,	1.50
		कढ़ी विशेष	,,	2.50
		कढ़ी प्रति प्लेट	,,	1.50
		आमलेट 2 अण्डा	,,	2.50
		उबला अण्डा (एक)	,,	1.00
		चपाती एक	,,	0.50
		चाय प्रति कप/गिलास	,,	0.75
		प्रति पूरी सब्जी के साथ	,,	1.00
		पकोड़ा प्रति किलो	,,	18.00
		समोसा (बड़ा) 100 ग्राम एक	,,	1.00
		मठी, बालूशाही, खजूर, मेसू, पिनी, लड्डू मोतीचूर, प्रति किलो	,,	22.00
		लड्डू बून्दी, शकरपारा, मटर, सेवियां, दाल, नमकीन और बसन प्रति किलो	रु0	20.00
		बर्फी कोकोनट, पतीसा, कराची हलवा प्रति किलो	,,	25.00
		बर्फी खोया प्रति किलो और कलाकंद	,,	32.00

1	2	3				4
		दाल मसूर			,,	24.00
		जलेबी प्रति किलो			,,	18 00
		परौंठा साधारण एक			,,	1.50
4.	18.	दूध/दही			,,	2 00
			निचार उप-मण्डल		कल्पा पूह उप-मण्डल टापरी सहित	
		कच्चा दूध विक्रय गवाले द्वारा	रु0	5.00	रु0	5.50
		कच्चा दूध (विक्रेता द्वारा)	,,	5.25	,,	5.75
		दूध उबला हुआ (विक्रेता द्वारा)	,,	5.50	,,	6.00
		दूध उबला हुआ (विक्रेता द्वारा) (चीनी सहित)	,,	6.00	,,	6.50
		दही	,,	6.00	,,	6.50

दुकानदारों को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मूल्य सूची प्रदर्शित करें और उस पर दुकानदार/भागीदार/प्रबन्धक के हस्ताक्षर होना दिनांक सहित अनिवार्य हैं।

यह आदेश पूर्ण किन्नौर जिला में हि0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशित होने से एक माह की अवधी तक लागू रहेगा।

प्रेम कुमार,
भा0 प्र0 से0
जिला दण्डाधिकारी,
किन्नौर स्थित कल्पा।

पंचायती राज विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 13 सितम्बर, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 315/76.—इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त, 1989 के अनुच्छेद 3 में अंकित शब्द "जिला दण्डाधिकारी, मण्डी (एस0 डी0 एम0 मण्डी)" के स्थान पर "अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मण्डी (ए0 डी0 एम0 मण्डी" पढ़ा जाए।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 13 सितम्बर, 1989

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 89/86.—क्योंकि ग्राम पंचायत शांघड़, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू के 4/85 स 3/87 क लेखा परीक्षण के फलस्वरूप तथ्यों की वास्तविकता जानन के जिए हिमाचल प्रदश पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 54 क अन्तर्गत जांच करवाई गई।

और क्योंकि इस जांच के फलस्वरूप उप-सम्भागीय अधिकारी नागरिक कुल्लू तथा ए० डी० एम० कुल्लू की जांच पर श्री शेर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत शांघड, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू निम्नलिखित अनियमितताओं/गबन में संलिप्त पाये गये हैं।

प्राथमिक पाठशाला लपाह के भवन निर्माण पर 11-12-85 को लकड़ी के 3 खम्बे (प्रत्येक खम्बा 7 फुट लम्बा) एक रुपया प्रति फुट की दर से चरान करवाकर रोकड़ में 280/- रुपये व्यय दिखाया है जबकि चरान की मजदूरी 21 रुपये बनती है।

सड़क रोपा से मदाना के मास 9/85 के दो मस्ट्रौल तैयार किये हैं और इन दोनों मस्ट्रौलों पर सर्व श्री साहिबे राम (सुपुत्र टहली), थापी राम (सुपुत्र राम चन्द), ठाकुरी (सुपुत्र धर्म) तथा चेत राम (सुपुत्र उदय राम) के नाम अभिलिखित हैं इन मजदूरों को मस्ट्रौल पर दोहरी हाजरी लिखाकर मु० 880/- रुपये की गलत अदायगी की।

लकड़ी चरान के वाउचर नं० 45, दिनांक 9-1-86 का व्यय रोकड़ में 19.06 रुपये अधिक दिखाकर उसका दुरुपयोग किया।

वरशांघड प्राईवेट स्कूल पर कुमारी शमा दवी का (अध्यापिका) वेतन 6/86 से 8/86 तक का 25-11-86 को 450/- रुपये तथा 9/86 से 12/86 तक का 25-2-87 को मु० 600/- रुपये दिया है जबकि उनकी नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव लेख न तो पंचायत में है और स्कूल भी बन्द पड़ा है। इस प्रकार मु० 1050/- रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है।

कांगड़ा सहकारी बैंक बंजार से 28-2-87 को 13500/- रुपये श्रमिकों के भुगतान हेतु निकाले गये किन्तु श्रमिकों को इस राशि का भुगतान 23-4-87 को करके जहां दो मास तक राशि का दुरुपयोग किया वहां पंचायत को इस राशि से मिलने वाला ब्याज जो कि 5 प्रतिशत की दर से मिलता है तथा मु० 112.50/- रुपये बनता है की क्षति पहुंचाई।

9-7-86 को मु० 825/- रुपये मेला साडन में खिलाड़ियों तथा कार्यकर्त्ताओं को भोजन इत्यादि का खर्चा अनियमित रूप से किया गया जबकि इस मेला से पंचायत को कोई भी आय नहीं हुई।

पाठशाला भवन शांघड पर 25-11-86 को लकड़ी के चरान पर व्यय 3788/- रुपये तथा आयुर्वेदिक औषधालय भवन पर 24-12-86 को लकड़ी के चरान का व्यय 2392.50/- रुपये डाला है जबकि पंचायत अभिलेखा अनुसार कोई भी लकड़ी नहीं खरीदी गई है।

प्रधान के पास 26-9-87 को रोकड़ अनुसार 23300/- रुपये नगद शेष में रहते हैं तथा इस राशि में से मु० 3000/- रुपये उसके पास 15-5-87 से तथा 20300/- रुपये 22-6-87 तथा 23-6-87 से रहने का अस्थाई रूप से गबन करके हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज (सामान्य) वित्त, बजट, लेखा, अंकेक्षण, कराधान सेवाएं तथा भत्ते नियम 8 की उलंघना के दोषी पाये गये हैं।

डाकघर सैंज से पंचायत की अनुमति के बिना दिनांक 11-6-86 को मु० 1000/- रुपये, 12-9-86 को मु० 2000/- रुपये, 27-9-86 को मु० 2150/- रुपये तथा 30-8-88 को मु० 1000/- रुपये निकाले जिसके लिए पंचायत का कोई भी प्रस्ताव नहीं था तथा इस प्रकार मु० 6150/- रुपये का गबन करने के दोष में संलिप्त हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत श्री शेर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, शांघड के निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस के जारी होने से एक माह के भीतर-भीतर उपायुक्त, कुल्लू के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 1989

संख्या 3-5/89-ई0 एल0 एन0.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/84/56, दिनांक 28 अगस्त, 1989, तदानुसार भाद्रपद 6, 1911 (शक) अंग्रेजी रूपान्तर सहित सर्व साधारण की सूचना हेतु पुनः प्रकाशित करता हूं ।

आदेश से,
अत्तर सिंह,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली ।

तारीख 28 अगस्त, 1989
भाद्रपद 6, 1911 (शक)

अधिसूचना

आ0 अ0.—गोवा कांग्रेस ने, जो गोवा राज्य में उसके लिए आरक्षित प्रतीक "दो पत्तियां" के साथ उक्त राज्य में एक मान्यता प्राप्त राज्जीय दल है, भारत निर्वाचन आयोग को यह सूचित किया है कि उक्त दल इंडियन नशनल कांग्रेस के साथ, जो एक राष्ट्रीय दल है, विलीन हो गया था और उसके परिणामस्वरूप अस्तित्वहीन हो गया था और यह अनुरोध किया था कि राज्जीय दलों की सूची में से गोवा कांग्रेस के नाम का लोप कर किया जाए और जहां तक गोवा राज्य का सम्बन्ध है इसके लिए आरक्षित प्रतीक "दो पत्तियां" को स्थिर कर दिया जाए;

और भारत निर्वाचन आयोग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ गोवा कांग्रेस के उक्त विलयन के बारे में किसी भी क्षेत्र से आक्षेप या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया है;

और इसके पास उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों के आधार पर, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि गोवा कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ विलयन हो जाने के परिणाम स्वरूप एक अलग राजनतिक दल के रूप में उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है और अतः, यह विनिश्चय किया गया है कि राज्यीय दलों की सूची में से गोवा कांग्रेस के नाम का लोप कर दिया जाए और जहां तक गोवा राज्य का सम्बन्ध है उसके लिए आरक्षित प्रतीक "दो पत्तियां" को स्थिर कर दिया जाए;

अतः, अब, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पर उप पैरा (1) और उप-पैरा (2) के खण्ड (खा) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3(*iii*), तारीख 16 नवम्बर, 1984 में प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित अपनी अधिसूचना सं0 56/84-I, तारीख 13 नवम्बर, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना मे संलग्न सारणी 2 में, गोवा राज्य के सामने, स्तम्भ 2 और 3 के नीचे प्रविष्टि

'1. गोवा कांग्रेस . . . दो पत्तियां" का लोप कर दिया जायेगा, और स्तम्भ 2 में प्रविष्टि "1, महाराष्ट्रवादी गोमान्तक" के सामने अंक "2" का भी लोप कर दिया जायेगा।

(सं0 56/84-56)

आदेश से,
हस्ताक्षरित/-
(सी0 एल0 रोज),
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NEW DELHI

the 28th August, 1989
Dated———————
Bhadra 6, 1911 (*Saka*)

NOTIFICATION

O. N.—WHEREAS Goa Congress which is a recognised State Party in the State of Goa with the symbol "Two leaves" reserved for it in the said State has intimated the Election Commission of India that the party had merged with Indian National Congress which is a National Party and had as a consequence thereof ceased to exist and had made a request to delete the name Goa Congress from the list of State Parties and to freeze its reserved symbol "Two leaves" so for as the State of Goa is concerned;

AND WHEREAS the Election Commission of India has received no objection or representation from any other quarter to the said merger of Goa Congress with Indian National Congress;

AND WHEREAS on the basis of records and documents made available to it, Election Commission is satisfied that Goa Congress has ceased to exist as a separate political party consequent to its merger with the Indian National Congress and has, therefore, decided to delete the name of Goa Congress from the list of State Parties and to freeze its reserved symbol "Two leaves" so far as the State of Goa is concerned;

NOW, THEREFORE, in pursuance of clause (*b*) of sub-para (1) and sub-para (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/84-I, dated the 13th November, 1984, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3 (*iii*), dated 16th November, 1984, and as subsequently amended from time to time, namely.—

IN TABLE 2 appended to the said notification, against the State of Goa, under columns 2 and the entry "1. Goa Congress.....Two Leaves" shall be DELETED; and the figures "2" against the entry "2. Maharashtrawadi Gomantak" in column 2 shall also be DELETED.

(No. 56/84-LVI)
By order,
Sd/-
(C. L. ROSE),
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।